प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–2019
प्र0सू0रि0 सं ....263/2022........दिनांक..........30/6/2022..........

2. (1) अधिनियम... भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988... धाराऐं...13(1)(ई) 13(2).....................
(2) अधिनियम.... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018..... धाराऐं ...13(1)(बी) 13(2)....
(3) अधिनियम...धाराऐं..
(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– चैक अवधि 18.05.2002 से दिनांक 26.06.2019 तक
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 26.06.2019 समय :– 06.40 पी.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....596... समय..........6:35 P.M.........

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) – फर्द खाना तलाशी दिनांक 26.06.2019

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 5 कि0मी0 बजानिब पश्चिम
बीट संख्या...जुरामदेही सं..
(ख) पताः– मकान नं: 54, सांईनाथपुरम, हाउसिंग बोर्ड, झालावाड़ थाना कोतवाली झालावाड़
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– भवानी शंकर मीणा अति0 पुलिस अधीक्षक भ्र0 नि0 ब्यूरो झालावाड़
(ख) पिता/पति का नाम :– स्व. श्री छीतर लाल मीणा
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 55 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय – नौकरी
(छ) पता :– अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0 नि0 ब्यूरो. झालावाड़।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

श्रीमती कैलाश टेलर पत्नी श्री सत्यनारायण टेलर जाति टेलर उम्र 55 साल मकान नं. 54 सॉइनाथपुरम हाउसिंग बोर्ड झालावाड़ तत्कालीन महिला पर्यवेक्षक भालता सेक्टर, महिला एवं बाल विकास परियोजना अकलेरा जिला झालावाड़।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – चैक अवधि 18.05.2002 से दिनांक 26.06.2019 तक में आय अधिक परिसम्मतियां अर्जित करना

11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

मामला वाकंयात इस प्रकार है कि दिनांक परिवादिया श्रीमती संगीता बाई की लिखित शिकायत पर रिश्वत मांग सत्यापन उपरान्त ट्रेप कार्यवाही आयोजित कर आरोपीया श्रीमती कैलाश टेलर को 8,000 रू. रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये, गिरफ्तार किया गया है। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपिता श्रीमती कैलाश टेलर के आवासीय मकान की दिनांक 26.06.2019 को खाना तलाशी ली जाकर नियमानुसार फर्द खाना तलाशी तैयार की गयी थी। खाना तलाशी में घरेलु उपयोग के सामान के अतिरिक्त नकद राशि 11,64,710रू. व 385 ग्राम सोना कीमत लगभग 10,31,480रू. के मिले। इस सम्बंध में आरोपिता श्रीमती कैलाश टेलर को पत्रांक 101 दिनांक 29.01.2020 को जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया तो उसने दिनांक 05.02.2020 को लिखित स्पष्टीकरण पेश कर बताया कि खाना तलाशी में मिले सोने के जेवरात संयुक्त परिवार में रहने पति, पुत्र, पुत्रवधु व पुत्रियां, पति का भतीजा व उसके बच्चे व

भतीजे की पत्नी व स्वय के पुराने इस्तेमाली होना बताया है तथा नकद राशि 11,64,710रू. के सम्बंध में निम्नानुसार विवरण दिया है :–

1.	श्री मनीष कुमार (आरोपिया के पति के भतीजा) द्वारा रखे गये :–	11,00,000रू.
2.	श्री आशीष कुमार (आरोपिया के पुत्र) द्वारा घरेलु खर्च के लिये रखे गये :–	44,000रू.
3.	मकान किराया से आय :–	15,000रू.
4.	मंदिर में गुरूजी की दक्षिणा :–	5,000रू.
5.	बच्चो की गुल्लक से प्राप्त :–	710रू.

आरोपिता श्रीमती कैलाश टेलर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के कम में श्री आशीष कुमार को तलब कर उसके द्वारा घरेलु खर्च के लिये रखे गये 44,000रू बाबत पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि "मैं सहायक प्रबंधक, गंगानगर मोटर्स झालावाड के पद पर दिनांक 24.02.2007 से लगातार कार्य कर रहा हूँ। खाना तलाशी में मिले मेरे 44,000रू जो समय–समय पर मैंने बैंक से निकाल कर पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रखे थे। मेरी एक तीन वर्षीय बेटी राधिका है जो रिकेटस रोग से पिड़ित है जिसे अचानक ईलाज की आवश्यकता रहती है।

श्रीमती कैलाश टेलर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के कम में श्री मनीष कुमार को तलब कर उसके द्वारा रखे गये 11,00,000रू बाबत पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मैं मनीष गौरव कंन्स्ट्रक्शन व सप्लायर्स झालावाड़ के नाम से राजकीय एवं प्राइवेट स्तर पर ठेकेदारी का काम करता हूँ। मेरे पास झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के अंर्तगत निर्मित टीबी वार्ड को तोड़ने एवं उसके मेटेरियल को बेचने का 5,20,000रू. का ठेका था।

श्री मनीष कुमार को तलब कर उसके द्वारा श्रीमती केलाश टेलर के आवास पर रखे गये 11 लाख रूपयें के संबंध में पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि "मैं गौरव कंन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स झालावाड़ का प्रोपराइटर हूँ। मेरी फर्म का रजिस्ट्रेशन बी क्लास ठेकेदार का अति. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा द्वारा कमांक 4993 दिनांक 20.12.2016 पर पंजीयन किया हुआ है। उक्त पंजीयन के आधार संपूर्ण कोटा जोन में मैं सरकारी निर्माण कार्य करता हूँ। बी क्लास पंजीयन के आधार पर 1.5 करोड़ लागत के कार्य किये जा सकते है। श्रीमती कैलाश टेलर महिला पर्यवेक्षक मेरी चाची जी है जिनके साथ हम संयुक्त परिवार में विवेकानंद आईटीआई के पास क़ालीदास कॉलोनी झालावाड़ स्थित मकान में निवास करते है। दिनांक 26.06.2019 को आपके विभाग की कार्यवाही के दौरान हमारे मकान की खाना तलाशी में मिली नकद राशि में मेरी निजी धनराशि 11,00,000रू. भी मिले थे जो भी आपकी टीम द्वारा जब्त कर ली गयी थी। यह राशि मेरी फर्म द्वारा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज झालावाड़ के आदेश कमांक 26–29 दिनांक 22.01.2019 द्वारा टीबी हॉस्पिटल झालावाड़ की पुरानी बिल्डिंग गिराने एवं उसका मेटेरियल बेचने का कार्य 5,20,000रू. में मिला था। जिसकी राशि 5,20,000रू. की डीडी मेरा खाता सं. 50200009884243 से तैयार करवाकर डी डी झालावाड़ मेडिकल कालेज झालावाड के नाम दिनांक 11.01.2019 को जमा करवायी थी। उसके पश्चात् मेरे द्वारा पुराने हॉस्पिटल टीबी वॉर्ड को तोड़ने का कार्य प्रारंभ किया था इस कार्य के दौरान बिल्डिग से प्राप्त मेटेरियल जिसमें लोहा, पत्थर व पटटी व अन्य सामान मेरे द्वारा छोटे स्तर के व्यापारियो, कबाड़ीयों को बेचान कर राशि नकद में प्राप्त की गयी थी। जो राशि समय समय पर प्राप्त होने पर मैं उस राशि को मेरी चाची श्रीमती कैलाश बाई टेलर के पास सुरक्षा की दृष्टि से रख रखी थी। जिसमें से मैं बिल्डिग तोड़ने वाले मजदूरों का भुगतान करता था। जिस दिन एसीबी ने उनके यहॉ से ट्रेप के दौरान 11 लाख रूपये नकद बरामद किये थे जो राशि मैने मजदूरो को भुगतान करने एवं मेरे छोटे भाई की लड़की मेरी एक तीन वर्षीय बेटी राधिका है जो रिकेटस रोग से पिड़ित है जिसे अचानक तबीयत खराब हो जाती है जिसको ईलाज हेतु दिखाना रहता है उसके लिये पैसों की आवश्यकता होने से रखे हुये थे। मेरे द्वारा जो नकारा सामान टीबी वॉर्ड से प्राप्त मेटेरियल लोकल स्तर के कबाड़ियों व आवश्यकता वाले मकान निर्माणकर्ताओ को बेचान किया था जिनसे नकद में राशि प्राप्त की थी जिसको बिल वाउचर अभी मेरे पास नहीं है कल पेश कर दूँगा। मैंने पत्थर व पट्टी चैन सिंह बना निवासी झालावाड़ को बेचे थे जो करीबन 8 लाख रूपये के थे जिनका पैसा मैंने उनसे नकद प्राप्त किया था। जो पैसा मैने मेरी चाची के पास रखा था। झालावाड़ में हमारे एक पैतृक मकान है कहार मोहल्ला में स्थित है जिसमें मेरे अंकल श्री तिलकराज व उनका परिवार रहता है। मेरे पिताजी भवानीमंडी में रेल्वे स्टेशन के पास में हमारा मकान है जिसमें रहते है। मैं जिस मकान में निवास करता हूँ उसमें अलमारी नहीं है। जिसमें मैं मेरी नकद राशि व जेवर रख सकूँ। इसलिए मैं मेरी नकद राशि व जेवर मेरी चाची श्रीमती कैलाश टेलर के यहाँ रखता हूँ। परंतु उनके मकान में केवल आलमारी है डबल लॉक तिजोरी नहीं है, मेरी फर्म के नाम तीन बैंको में खाते है। जिनका रिकॉर्ड में अपने टाईपशुदा प्रार्थना पत्र के साथ लगा रहा हूँ। मेरी पत्नी के नाम भी एक खाता है। मेरे नाम से कोई बैक खाता नहीं है। मेरी फर्म के बैंक खातों का समय–समय पर प्राप्त चेक जो जमा करवाये गये है तथा मेरे द्वारा जमा करवाये गये चेको का विवरण पेश कर रहा हूँ। मेरे प्रार्थना पत्र के साथ मेरा आईटीआर वर्ष वित्तीय वर्ष 2018–19, 19–20 फर्म का रजिस्ट्रेशन भी संलग्न है। यह सही है कि फर्द खाना तलाशी की कॉपी पर मेरे चाचाजी श्री सत्यनारायण जी व चाची जी श्रीमती कैलाश टेलर के हस्ताक्षर है। यह सही है कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान जो 11,64,710 रू. मिले थे उसके बारे में मेरे चाची ने मेरे 11 लाख रूपये की होने की बात नहीं लिखवायी थी।" श्री मनीष कुमार के बयान के कम में श्री चेन सिंह के बयान लेखबद्ध किये गये जिसमें श्री चेन सिंह ने बताया कि "मेरे पिताजी श्री भीमसिंह के नाम एक ट्रेक्टर मय ट्रॉली नं. आरजे 17 2557 है। जिससे हम खेती बाड़ी,

पत्थर आदि मेटेरियल ढुलाई का कार्य करते है। मैं 2–3 साल से मनीष कुमार ठेकेदार के पास गॉवड़ी के तालाब पर हुये निर्माण कार्य के समय मैने मेरा ट्रेक्टर मेटेरियल ढुलाई हेतु लगाया था, तब से जानता हूँ। पिछले साल मार्च अप्रेल 2019 में मैने श्री मनीष कुमार ठेकेदार से टीबी हॉस्पिटल झालावाड़ की पुरानी बिल्डिग तोड़ने का ठेका मनीष ठेकेदार का था, जिससे मैने यह कार्य पेटी कॉन्टेक्ट पर लिया था। उस समय हमारे बीच शर्त यह थी कि जैसे–जैसे बिल्डिग तोड़ेगे उस से निकलने वाले मेटेरियल को बाजार में बेचकर प्राप्त होने वाले पेमेन्ट में से ही आपको कॉन्टेक्ट राशि देगें। हमने बिल्डिंग तोड़ने का कार्य 7–8 माह में पूरा कर दिया था इसी समय में हमने श्री मनीष ठेकेदार को अलग हिस्सों में कुल 8 लाख रूपये नकद भुगतान कर दिया था। मेरा किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाकर रखा है। हमने समस्त मेटेरियल नकद बेचकर ही श्री मनीष कुमार को 8 लाख रूपये दिये थे जो 7–8 माह में अलग–अलग किश्तों में दिये थे। इस सम्बंध में मेरे पास कोई लिखित एग्रीमेंट बिल्डिग तोड़ने का नहीं है। न ही मैंने जो पत्थर बेचा उसका कोई बिल वाउचर है। मैंने मनीष कुमार को जो 8 लाख रूपये किश्तों में दिये उसकी भी कोई रसीद मैने नहीं ली हैं।" खाना तलाशी में मिली नकद राशि 11,64,710 रू. बाबत संपूर्ण जांच से यह पाया गया है कि श्रीमती कैलाश टेलर महिला पर्यवेक्षक द्वारा अवैध तरीकों से अर्जित नकद राशि को अपने आवास पर एकत्रित कर रखा गया था, जो वक्त खाना तलाशी जब्त की गयी थी। तत्समय उक्त राशि के संबंध में पूछने पर श्रीमती कैलाश टेलर द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ना ही अपने भतीजे मनीष के 11 लाख रूपये होना व पुत्र आशीष के 44,000रू. होना बताया था। जांच के दौरान श्रीमती कैलाश टेलर ने अपने टाईपशुदा स्पष्टीकरण में योजनाबद्व तरीके से सोच समझ अपने भतीजे मनीष के 11 लाख रूपये एवं 44000रू. पुत्र आशीष के होने का स्पष्टीकरण पेश किया। इस कम में मनीष कुमार ठेकेदार व आशीष कुमार एवं श्री चेन सिह का स्पष्टीकरण बयान भी लिया गया। जिसमें श्री आशीष कुमार द्वारा दिया गया व रिकॉर्ड से संतोषप्रद माना जा सकता है। परंतु श्री मनीष कुमार द्वारा 11 लाख नगद के संबंध में दिये गये बयान में ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, मात्र श्री चेन सिंह को 8 लाख रूपये के पत्थर नकद बेचने की बात कही है। इस संबंध में चेन सिंह ने अपने कथन में पेटी पर कार्य लेना स्वीकार किया परंतु मई–अप्रेल माह में शुरू करना व 7–8 माह कार्य चलना बताकर किश्तो में भुगतान करना बताया है। इस संबंध न तो मनीष कुमार और न ही चैन सिंह द्वारा ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये है जैसे बिल वाउचर 8 लाख रूपये का एग्रीमेंट, पैसों का लेन देन किसी खाते या चेक के माध्यम से हुआ हो। अतः सम्पूर्ण जांच से यह पाया गया है कि श्रीमती कैलाश टेलर महिला पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 26.06.2019 को अपने आवास पर 11,64,710रू की राशि अवैध रूप से भ्रष्ट तरीके से अर्जित कर एकत्रित की गयी थी। अतः आरोपिता श्रीमती कैलाश टेलर का उक्त कृत्य अपराध अंर्तगत धारा 13(1)(ई), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व धारा 13(1)(बी),13(2) भ्र.नि. (संशोधन)अधि.2018 की श्रेणी में आता है।

आरोपिता श्रीमती कैलाश टेलर के द्वारा अर्जित की गयी परिसंपत्तियों एवं आय–व्यय की सही स्थिति को प्रदर्शित करने हेतु चेक पिरीयड का निर्धारण कर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा जारी गाइडलाईन दिनांक 08.08. 2014 के अनुसार खाना तलाशी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र अ, ब, स, द मय चैक लिस्ट तथा फर्द खाना तलाशी के मुर्तिब की जाकर निम्नानुसार प्रेषित है :–

प्रपत्र "अ"

चैक अवधि दिनांक 18.05.2002 से दिनांक 26.06.2019 से पूर्व अर्जित सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	परिसंपत्ति का विवरण	खरीदने /निवेश की दिनांक/वर्ष	किसके नाम खरीदी गई–आरोपिया से संबंध	परिसंपत्ति का मूल्य	परिसंपत्ति की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

प्रपत्र "ब"

चैक अवधि दिनांक 18.05.2002 से दिनांक 26.06.2019 के अंत मौजूद परिसम्पत्तियों का विवरण

क्र सं.	परिसंपत्ति का विवरण	खरीदने /निवेश की दिनांक/वर्ष	किसके नाम खरीदी गई– आरोपिया से संबंध	परिसंपत्ति की खरीद का मूल्य
1	2	3	4	5

1	आवासीय मकान प्लॉट सं. 54 सांईनाथपुरम झालावाड़ व इस भूखंड पर निर्मित दो मंजिला भवन का मूल्यांकन अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड झालावाड द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सं. 2168 दिनांक 08.03.2021 के अनुसार **मूल्यांकन लागत।**	2018–2019	स्वयं आरोपिता श्रीमती कैलाश टेलर	**40,66,000**
2	आरोपिता के विरूद्व ट्रेप कार्यवाही के समय दिनांक 26.06.2019 को उक्त आवासीय मकान की खाना तलाशी के दौरान **लोहे की अलमारी में अलग अलग थेलियो में मिली नंकद राशि**	2019	**आरोपिता द्वारा महिला पर्यवेक्षक के पद पर सेवा के दौरान आंगनबाड़ी कार्य कर्ताओ से पोषाहार में भ्रष्टाचार के जरिये अर्जित की गयी अवैध राशि**	**11,64,710**
3	आरोपिता के विरूद्व ट्रेप कार्यवाही के समय दिनांक 26.06.2019 को उक्त आवासीय मकान की खाना तलाशी के दौरान **लोहे की अलमारी में मिले 385 ग्राम के स्वर्णाभूषण**	2019	**आरोपिता द्वारा महिला पर्यवेक्षक के पद पर सेवा के दौरान आंगनबाड़ी कार्य कर्ताओ से पोषाहार में भ्रष्टाचार के जरिये अर्जित की गयी अवैध राशि से कय किये गये स्वर्णाभूषण**	**10,31,480**
4	आरोपिता के मकान.में मिले घरेलू सामानों की अनुमानित कीमत	2019	–	**1,47,500**
5	आरोपिता श्रीमती कैलाश बाई टेलर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गढ़ पेलेस झालावाड़ के बचत खाता सं. 51031648515 में ट्रेप दिनांक 26.06.2019 को अंतिम शेष	2019	स्वयं आरोपिता के नाम पर	**1,03,065**
6	आरोपिता श्रीमती कैलाश बाई टेलर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गढ़ पेलेस झालावाड में टर्म डिपोजिट रिसप्ट (टीडीआर) निम्न प्रकार है:–			
	खाता सं. 61314719334	12.05.2016		**56,304**
	खाता सं. 61321995225	21.07.2016		**13,487**
	खाता सं. 61350044013	04.05.2017		**94,575**
	खाता सं. 37276214936	02.11.2017		**25,823**
	खाता सं. 37609695839	22.03.2018		**36,011**
	खाता सं. 37622277065	29.03.2018		**32,637**

	खाता सं. 37672023587	26.04.2018		**36,007**
	खाता सं. 37685194729	03.05.2018		**27,009**
	खाता सं. 37726289798	31.05.2018		**27,125**
	खाता सं. 37766606201	21.06.2018		**27,128**
	खाता सं. 38373525670	04.04.2019		**31,885**
	खाता सं. 38390659001	11.04.2019		**29,763**
	खाता सं. 38508700652	06.06.2019		**29,819**
	खाता सं. 61279782520	16.07.2015		**85,501**
	खाता सं. 37795540107	05.07.2018		**27,126**
	खाता सं. 61244331521	06.11.2014		**5,97,938**
	खाता सं. 61311472706	31.03.2016		**26,881**
			कुल	**12,05,019**
7	आरोपिता श्रीमती कैलाश बाई टेलर के पति श्री सत्यनारायण टेलर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गढ़ पेलेस झालावाड़ के बचत खाता सं. 51031609711 में ट्रेप दिनांक 26.06.2019 को अंतिम शेष एवं एमओडी बेलेन्स राशि 3,73,080रू	2019	–	3,73,080
8	आरोपिता श्रीमती कैलाश बाई टेलर के पुत्र श्री आशीष कुमार के एचडीएफसी बैंक झालावाड़ के बचत खाता सं. 20010050000635 में ट्रेप दिनांक 26.06.2019 को अंतिम शेष	2019	–	**25,378**
9	आरोपिता श्रीमती कैलाश बाई टेलर के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 51031648515 में दिनांक 26.06.2019 तक एम. ओ.डी. बैलेंस राशि 13,28,981/– रूपये	2019	–	**13,28,981**
10	आरोपिता के पति श्री सत्यनारायण के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 51031609711 से हर माह राशि रूपये 5,150/– खाता संख्या 6120189731 में 13 बार स्थानान्तरित हुई है। जिसका कुल योग 66,950/–रूपये है।	2018	–	**66,950**
			कुल योग	**95,12,163**

इस प्रकार चेक पिरीयड के अंत में आरोपिता द्वारा अर्जित परिसंपत्तियो का कुल मूल्य 95,12,163/– रू पाया गया है।

प्रपत्र "स"

चैक अवधि दिनांक 18.05.2002 से दिनांक 26.06.2019 तक में आरोपिया, उसके पति, बच्चों की शुद्ध आय

क्रसं.	आय का शीर्षक विवरण	आय प्राप्ति की दिनांक/वर्ष अवधि	किसके द्वारा आय अर्जित की गई आरोपिया से उसका संबंध	शुद्ध आय (राशि)
1	2	3	4	5
1	आरोपिता श्रीमती कैलाश टेलर द्वारा वेतन भत्तों से प्राप्त की गयी शुद्ध आय **(जीए–55 के अनुसार)**	**दिनांक 18.05.2002 से दिनांक 26.06.2019 तक**	आरोपिता के स्वयं के द्वारा अर्जित	**22,86,004**
2	आरोपिता के पति श्री सत्यनारायण टेलर द्वारा चेक पिरीयड के दौरान राजकीय सेवा में रहते हुये वेतन भत्तो से प्राप्त की गयी शुद्ध आय **(जीए–55 के अनुसार)**	**वर्ष 2002–03 से दिनांक 26.06.2019 तक**	आरोपिता के पति द्वारा अर्जित	**35,48,419**
3	आरोपिता के पुत्र श्री आशीष द्वारा चेक पिरीयड के दौरान श्रीगंगानगर मोटर्स, झालावाड़ में जॉब करने से प्राप्त शुद्ध आय **(जीए–55 के अनुसार)**	**वर्ष 2002–03 से दिनांक 26.06.2019 तक**	आरोपिता के पुत्र श्री आशीष द्वारा अर्जित	**12,26,718**
	कुल योग			**70,61,141**

इस प्रकार आरोपिता श्रीमती कैलाश टेलर, उसके पति श्री सत्यनारायण टेलर तथा उसके पुत्र श्री आशीष के द्वारा चेक पिरीयड के दौरान वेतन से प्राप्त शुद्ध आय कुल **70,61,141 रूपये** होना पाया गया है।

प्रपत्र "द"

चैक अवधि दिनांक 18.05.2002 से दिनांक 26.06.2019 तक आरोपिया उसके पति एवं बच्चों द्वारा किए गए खर्चों का विवरण

क्र सं.	खर्च का षीर्शक विवरण	खर्च करने की दिनांक/वर्श अवधि	किसके द्वारा खर्च किया गया – आरोपिया (आप स्वयं) से उसका संबंध	खर्च की राशि
1	2	3	4	5
1	आरोपिता के पति द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान अर्जित किये गये वेतन–भत्तों से प्राप्त शुद्ध आय राशि 68,06,922/–रूपये का 1/3 असत्यापनीय व्यय	चेक पिरीयड	आरोपिता के पति द्वारा	22,68,974
2	आरोपिता श्रीमती कैलाश बाई टेलर के पति द्वारा पुत्री की शादी पर वर्ष 2007 में किया गया खर्च	2006–07	आरोपिता के पति द्वारा	4,55,000
3	आरोपिता श्रीमती कैलाश बाई टेलर के पति द्वारा पुत्र की शादी पर वर्ष 2009 में किया गया खर्च	2008–09	आरोपिता के पति द्वारा	4,95,000

4	आरोपिता श्रीमती कैलाश बाई टेलर के पति द्वारा पुत्र के लिये कय की गयी कार पर खर्च	2013–14	आरोपिता के पति द्वारा	3,20,000
5	आरोपिता श्रीमती कैलाश बाई टेलर के पुत्र श्री आशीष कुमार द्वारा किया गया कार खर्च	2013–14 से 2019 तक	आरोपिता के पुत्र श्री आशीष कुमार द्वारा	5,06,510
6	आरोपिता श्रीमती कैलाश बाई टेलर के पुत्र श्री आशीष कुमार द्वारा अपनी बहन की शादी पर किया गया खर्च	2006–07	आरोपिता के पुत्र श्री आशीष कुमार द्वारा	3,50,000
7	आरोपिता श्रीमती कैलाश बाई टेलर के पुत्र श्री आशीष कुमार द्वारा स्वयं की शादी पर किया गया खर्च	2008–09	आरोपिता के पुत्र श्री आशीष कुमार द्वारा	2,75,000
			कुल योग	**46,70,484**

इस प्रकार आरोपिता श्रीमती कैलाश टेलर व उसके पति श्री सत्यनारायण टेलर एवं उसके पुत्र श्री आशीष कुमार टेलर द्वारा चेक पिरीयड **दिनांक 18.05.2002 से दिनांक 26.06.2019** तक प्राप्त की गई अर्जित सम्पतियां, आय एवं व्यय निम्नानुसार है :–

(क). चैक पिरियड से पूर्व खरीदी गई/अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य : –**शून्य**

(ख). चैक पिरियड के अंत में मौजूद परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य :– **95,12,163/– रूपये**

(ग.) चैक पिरियड के दौरान खरीदी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य(ख–क): **95,12,163/–रू**

(घ.) चैक पिरियड के दौरान प्राप्त शुद्ध आय की कुल राशि :– **70,61,141/– रूपये**

(ड.) चैक पिरियड के दौरान किये गये कुल खर्च की राशि :– **46,70,484/– रूपये**

(च). चैक पिरियड के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां (ग+ड):– **1,41,82,647/– रूपये**

(छ). आय से अधिक सम्पत्ति की राशि (च–घ):– **71,21,506/– रूपये**

(ज). आय से अधिक सम्पत्ति का प्रतिशत (छ/घX100) = **100.85 प्रतिशत**

इस प्रकार आरोपिता श्रीमती कैलाश टेलर व उसके पति श्री सत्यनारायण टेलर एवं उसके पुत्र श्री आशीष कुमार टेलर द्वारा चेक पिरीयड **दिनांक 18.05.2002 से दिनांक 26.06.2019** तक के ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त आरोपिता की आय **7061141/–** रूपये होकर अर्जित सम्पति का मूल्य **95,12,163**रूपये एवं व्यय राशि **46,70,484/–** रूपये की पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड **1,41,82,647/–** को उपरोक्त आय **1,10,02,233/–** में से घटाने पर **71,21,506/–**रूपये की संपत्ति शुद्व आय से अधिक पाई गई है। जो कि आय अधिक **100.85 प्रतिशत** अधिक परिसम्मतियां ज्ञात हुई है तथा विस्तृत अनुसंधान से आय से ओर अधिक परिसम्पत्तियों के बढ़ने की सम्भावना है। इस प्रकार आरोपिता श्रीमती कैलाश टेलर, महिला पर्यवेक्षक भालता सेक्टर, महिला एवं बाल विकास परियोजना अकलेरा जिला झालावाड (राज.) द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर अपनी वैध आय से कही अधिक की परिसम्पतियॉ अर्जित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपिता श्रीमती कैलाश टेलर, महिला पर्यवेक्षक भालता सेक्टर, महिला एवं बाल विकास परियोजना अकलेरा जिला झालावाड (राज.) के विरूद्व जुर्म धारा 13(1)(ई), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध घटित होना पाया जाने से श्रीमती कैलाश टेलर पत्नी श्री सत्यनारायण टेलर जाति टेलर उम्र 55 साल मकान नं. 54 सॉइनाथपुरम हाउसिंग बोर्ड झालावाड़ तत्कालीन महिला पर्यवेक्षक भालता सेक्टर, महिला एवं बाल विकास परियोजना अकलेरा जिला झालावाड़ के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

भवदीय;

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1) (ई) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 13(1) (बी) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती कैलाश टेलर पत्नी सत्यनारायण टेलर, तत्कालीन महिला पर्यवेक्षक, भालता सेक्टर, महिला एवं बाल विकास परियोजना अकलेरा, जिला झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 263/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2313-17 दिनांक 30.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

30.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।